-1-

176

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R-3745-I/12 /2012 जिला–दतिया

1– प्रमोद कुमार पुत्र श्री बिहारीलाल नीखरा, निवासी– शनिचरा मौहल्ला दतिया (म.प्र.)

2– सुनीत कुमार मिश्रा पुत्र श्री रमेश कुमार

3– संजय नगरिया पुत्र श्री मुरलीधर नगरिया निवासीगण– पकौड़िया महादेव, दतिया (म.प्र.)

4– रविन्द्र कुमार सुन्दरानी पुत्र श्री कन्हैयालाल सुन्दरानी, निवासी– गुरूनानक कॉलोनी, दतिया (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

नरेश कुमार यादव पुत्र श्री रतनलाल यादव, निवासी– पट्ठापुरा तहसील व जिला दतिया

...... अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. .... को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 40 / 2011–12 में निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.09.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक 577 रकवा 4.390 हेक्टेयर स्थित ग्राम रामनगर पटवारी हल्का नं. 23 तहसील व जिला दतिया में स्थित है। उक्त भूमि में से आवेदकगण ने 2.592 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा भूमि स्वामी मोहन, परसू तथा जगदीश पुत्रगण घनश्याम रायकवार, निवासी– खजांची मौहल्ला दतिया से दिनांक 15.12.2005 में क्रय की गई थी।

2– यहकि, भूमि क्रय करने के पश्चात् विक्रेतागण ने बिक्री की गई भूमि की सीमायें आवेदकगण को मौके पर समझायी थी व आवेदकगण को मौके पर कब्जा सौंपा था, जिसे आवेदकगण द्वारा प्राप्त किया गया था तथा क्रय दिनांक से आवेदकगण उक्त भूमि के मालिक की हैसियत से काबिज होकर चले आ रहे हैं।

3– यहकि, आवेदकगण के हित में किये गये विक्रय–पत्र के पश्चात् पूर्व भूमि स्वामी परसू ने वर्तमान में गलत चतुर्सीमा वर्णित कर जानबूझकर आवेदकगण को परेशान करने की दृष्टि से उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को अनावेदक को विक्रय कर दिया, जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा पंजी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.7.16.	आवेदक की ओर से 2 [illegible] [illegible] परन्तु न तो आवेदक और न ही उनकी ओर से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाता है। अभिलेख [illegible] जावे। [signature]	

[illegible]

17